पत्थलगड़ी आंदोलन की जड़ें

ग्लैडसन डुंगडुंग

पत्थलगड़ी ने डरा दिया है। राज्यसत्ता, संघ परिवार (भाजपा-आर.एस.एस.), मीडिया, ठेकेदार और बाहरी दिकुओं को। आदिवासी कह रहे हैं कि अनुमति लेकर हमारे गांवों में घुसना है ठीक उसी तरह जिस तरह से शहरों में बने अपार्टमेंट और सरकारी दफ्तरों में लोग पहरेदारों से अनुमति लेकर प्रवेश करते हैं।

उन्होंने अपने-अपने गांवों के सामने पत्थरों से बनाये गये शिलापटों में अपना संदेश स्पष्ट लिख दिया है भारतीय संविधान का संदर्भ देकर। उनके पास संविधान की मोटी पुस्तक भी है। क्या इसे असंवैधानिक कहा जा सकता है? राजसत्ता, संघ परिवार और मीडिया तो ऐसे ही कह रहे हैं। देश के कोने-कोने से लोग यह ढूढ़ने के लिए आ रहे है कि क्यों आदिवासियों ने दिकुओं के लिए गांवों में प्रवेश निषेध लगा रखा है। यह देखना दिलचस्प है कि जिन दिकुओं का आदिवासी गांवों में प्रवेश वर्जित है, वे अब जंगल का अस्तित्व खत्म करने वाले कुल्हाड़ी में लगे लकड़ी के बेंत की तरह पढ़े-लिखे आदिवासियों का सहारा लेकर इन गांवों में प्रवेश कर रहे हैं और आदिवासियों से सवाल पूछ रहे हैं। आदिवासियों से पूछे गये सवालों में सबसे अहम सवाल यह है कि उन्होंने बाहरी लोगों का गांवों में प्रवेश निषेध क्यों किया है ? ऐसी परिस्थिति में हमें पत्थलगड़ी की जड़ों को ढूंढना चाहिए।

यह निर्विवाद है कि पत्थलगड़ी आदिवासियों की एक महान परंपरा है और वे इसका इस्तेमाल एक राजनीतिक हथियार के तौर पर भी करते रहे हैं। किसी की स्मृति में पत्थलगड़ी करना परंपरा है तो वहीं गांव का सीमांकन करना इसका राजनीतिक इस्तेमाल, जो सदियों से चलती आ रही है। लेकिन आदिवासी महासभा के द्वारा चलाये जा रहे पत्थलगड़ी आंदोलन ने राजसत्ता , संघ परिवार (भाजपा-आर.एस.एस.), मीडिया, ठेकेदार और बाहरी दिकुओं की नींद हाराम कर दी है। इसलिए लोग यह जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि पत्थलगड़ी आंदोलन की आग मुंडा दिसुम से शुरू होकर देश के अन्य आदिवासी इलाके में जंगल के आग की तरफ तेजी से फैल रहा है? इसे समझने के लिए पीछे मुड़कर देखना होगा।

झारखंड आंदोलन का गढ़ माना जाता है। यहां आदिवासी अपनी पहचान, स्वायत्ता और जमीन, इलाके एवं प्राकृतिक संसाधनों पर मालिकाना हक को लेकर पिछले तीन सौ वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं। 1770 में पहाड़िया आदिवासियों ने दावा

आदिवासियों ने सरकारों को भारत का संविधान पढ़ाया

किया कि जमीन उनकी है। 1855 में संतालों ने कहा कि संताल इलाका में उनका राज चलेगा। 1879 में 14,000 मुंडाओं ने ब्रिटिश हुकूमत को लिखा कि छोटानागपुर उनका है। इसी तरह झारखंड गठन की मांग और विस्थापन के खिलाफ कई आंदोलन हुए। लेकिन झारखंड राज्य के गठन के बाद राज्य सरकार ने आदिवासियों के इच्छा के विरूद्ध यहां के प्राकृतिक संसाधनों को बेचने की योजना बनायी। 2001 में औद्योगिक नीति बनाकर राज्य में 'औद्योगिक गलियारा' बनाने का प्रस्ताव मंजूर कर दिया गया। झारखंड सरकार और कॉरपोरेट घरानों के बीच एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर कर कहीं मित्तल नगर, कहीं भूषण नगर तो कहीं जिन्दल नगर बसाने की कोशिश की गई। विरोध के कारण सरकार सफल नहीं हुई।

जनांदोलन की ताकत को देखते हुए भाजपा की सरकार ने जमीन हड़पने के लिए 2015 में 'लैंड बैंक' का निर्माण किया, जिसे दिखाकर सरकार निवेशकों को यह संदेश देना चाहती थी कि उनके लिए राज्य में पर्याप्त जमीन उपलब्ध इसलिए वे बेहिचक पूंजीनिवेश करें। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 5 जनवरी 2016 को लैंड बैंक के वेबसाईट का उदघाटन किया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आँकड़ों के अनुसार सरकार के पास 'लैंड बैंक' में अभी 21,06,073.78 एकड़ जमीन उपलब्ध है, जिसमें गैर-मजरूआ आम व खास, जंगल-झाड़ की जमीन एवं विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध जमीन शामिल है।

लेकिन 'लैंड बैंक' के दस्तावेजों को गहराई से खंगालने पर चैकाने वाले तथ्य सामने आते हैं। सरकार ने बढ़ी चालाकी से रैयती जमीन को छोड़कर बाकी बचे सामुदायिक जमीन सहित सभी प्रकार की भूमि को 'लैंड बैंक' में डाल दिया है, जिसमें गांव का रास्ता, जाहेरथान, देशावली, सरना, मसना, हडगढ़ी, कब्रस्थान, खेल का मैदान, गोचर, जंगल-झाड़, टोंगरी, इत्यादि शामिल हैं। यह सामुदायिक जमीन को लूटने का शानदार तरीका है।

लैंड बैंक का गठन करने के बाद झारखंड सरकार ने ऑर्डिनेस लाकर राज्य के भूमि सुरक्षा कानूनों – छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 एवं संताल परगना काश्तकारी (अनुपूरक अनुबंध) अधिनियम 1949 में संशोधन किया, जिसका मकसद सिर्फ निजी उद्यमियों को फायदा पहुंचाा था। सरकार ने सीएनटी एक्ट की धारा-21, 49 एवं 71 तथा एसपीटी एक्ट की धारा-13 में संशोधन करते हुए खेती की जमीन को गैर-कृषि घोषित कर उसका अधिग्रहण करने, गैर-कृषि भूमि पर 1 प्रतिशत लगान वसूलने एवं आदिवासियों की जमीन पर गैर-कानूनी तरीके से बनाये गये व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कानूनी दर्जा देकर पूंजीपतियों को खुश करना चाहती थी। लैंड बैंक का गठन एवं सीएनटी/एसपीटी कानूनों में किये गये संशोधन से आदिवासी आक्रोशित हो गए। राज्य भर में अलग-अलग तरीके से आंदोलन होने लगा।

22 अक्टूबर 2016 को खूंटी के आंदोलनकारियों पर सायको गांव के पास पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें 55 वर्षीय अब्राहम मुंडू की मौत हो गई। इस घटना ने आदिवासियों को अपनी जमीन बचाने के लिए और भी ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया। इसी को मद्देनजर रखते हुए आदिवासी महासभा ने जमीन, इलाके और प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए ग्रामसभाओं को पारंपरिक तरीके से सशक्त करने का अभियान शुरू किया। उन्होंने भारतीय संविधान की पांचवीं अनुसूची एवं मौलिक अधिकार के प्रावधानों को साईबोर्ड पर लिखना शुरू किया। लेकिन मुंडा आदिवासी बहुल इलाकों में लोगों को पत्थलगड़ी से लगाव को देखकर उन्होंने पारंपरिक ग्रामसभाओं के द्वारा पत्थलगड़ी करने का निर्णय लिया।

9 फरवरी 2017 को आदिवासी महासभा ने भंडरा गांव में पहला पत्थलगड़ी किया। इस समारोह में आदिवासियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन झारखंड सरकार ने यह मान लिया था कि आदिवासियों के दिलों में लगी आग को सरना-ईसाई के नाम पर बुझा दिया जायेगा। 23 नवंबर, 2016 को विधानसभा में बहस कराये बगैर ही मात्र तीन मिनटों में सीएनटी/एसपीटी संशोधन विधेयकोण को सदन में पारित कर दिया, जिसे जनाक्रोश और ज्यादा बढ़ गया।

लेकिन झारखंड सरकार कॉरपोरेट घरानों के लिए रेड कॉरपेट बिछाने में व्यस्त रही। पूंजीनिवेश को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने 16-17 फरवरी 2017 को झारखंड की राजधानी रांची स्थित खेलगांव में मोमेंटम झारखंड के तहत 'ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट' का आयोजन किया, जिसमें दुनियाभर से 11,209 छोटे-बड़े व्यापारी शामिल हुए। सरकार और पूंजीपतियों के बीच 3.10 लाख करोड़ रूपये के पूंजीनिवेश से संबंधित 210 एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुआ। इस आयोजन ने राज्य के आदिवासियों के बीच स्पष्ट संदेश दे दिया कि झारखंड सरकार आदिवासियों की जमीन और खनिज को छीननकर पूंजीपतियों को देने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए आदिवासियों ने अपनी जमीन, इलाके एवं प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए अपने तरीके से तैयारी करना शुरू कर दिया।

'ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट' के दौरान कोरिया की कंपनी 'स्मार्ट ग्रिड' समूह ने झारखंड सरकार के साथ 7,000 करोड़ रूपये की पूंजीनिवेश का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया था। इसके तहत 'स्मार्ट ग्रिड प्रा. लि.' रांची के नामकुम प्रखंड के अन्तर्गत तुपुदाना स्थित सोड़हा गांव में ओटोमोबाईल पार्क बनाना चाहती थी, जिसके लिए झारखंड सरकार ने 210 एकड़ जमीन भी चिन्हित कर दिया था। जब सोड़हा गांव के आदिवासियों को इसकी भनक लगी तब उन्होंने भूमि-अधिग्रहण का विरोध करते हुए ग्रामसभा के द्वारा गांव में पत्थलगड़ी कर दिया। इस विरोध को देखते हुए कोरियाई कंपनी ने परियोजना वापस ले लिया।

इस घटना ने पत्थलगड़ी को एक नया आयाम दे दिया। आदिवासी महासभा ने पत्थलगड़ी के ताकत को पहचान कर उसे आंदोलन का रूप दे दिया। इसके बाद झारखंड के मुंडा बहुल इलाके में गांवों के सामने पत्थलगड़ी करते हुए बाहरी दिकुओं का प्रवेश निषेध कर दिया गया और ग्रामसभाओं के आदेशों का पालन नहीं करने पर उन्हें बंधक बनाया गया। इस मुहिम में खूंटी जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, न्यायिक दंडाधिकारी और सीआरपीएफ के जवानों को बंधक बनाया गया। ग्रामसभाओं के संदेशों को सुनने के बजाय सरकार पत्थलगड़ी आंदोलन से जुड़े लोगों पर कानून का डंडा चलाने लगी।

आदिवासियों के बीच यह स्पष्ट संदेश चला गया है कि सरकार और कॉरपोरेट के बीच मजबूत गांठजोड़ है इसलिए अपनी जमीन, इलाके और प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है तो उन्हें स्वंय खड़ा होना होगा। देश एवं राज्य की सरकारें आदिवासियों के लिए किये गये सवैंधानिक प्रावधान और कानूनों को जानबूझकर लागू नहीं करते हैं क्योंकि इन्हें लागू करने से आदिवासियों की जमीन, जंगल, पहाड़, जलस्रोत और खनिज सम्पदाओं को छीनना बहुत मुश्किल होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3), अनु. 19(5)(6) एवं अनु. 244(1) तथा पांचवीं अनुसूची के प्रावधान सिर्फ संविधान का शोभा बढ़ा रहे हैं। इसी तरह संविधान के अनुच्छेद 46 में आदिवासियों को सभी तरह के शोषणों से सुरक्षा दिलाने का वादा बेकार है।

भारतीय लोकतंत्र के पिछले सात दशकों के अनुभव से आदिवासी यह मान लिये हैं कि न संवैधानिक प्रमुख (राष्ट्रपति एवं राज्यपाल) और न ही सरकार प्रमुख (प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री) को आदिवासियों की चिंता है। आदिवासियों के साथ प्रगति, विकास, जनहित, राष्ट्रहित एवं आर्थिक तरक्की के नाम पर धोखा किया गया है। इसलिए अब वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन, इलाके और प्राकृतिक संसाधनों को कॉरपोरेट को देने के लिए तैयार नहीं हैं। पत्थलगड़ी आंदोलन की जड़े यहीं हैं। ग्लैडसन डुंगडुंग आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता, शोधकर्ता एवं प्रखर वक्ता हैं. वे कई जनांदोलनों से जुड़े हुए हैं. उन्होंने आदिवासियों के मुद्दों पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में कई पुस्तके लिखी हैं.

पीएम मोदी ने बहुत लंबी लंबी छोड़ी है, उन्होंने अपनी बहुचर्चित मुद्रा योजना के जो आँकड़े पेश किये हैं वे बेहद चौकाने वाले हैं

गिरीश मालवीय

मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना के तहत 3 मई, 2018 तक 12.61 करोड़ लोगों को कर्ज दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत मोदी ने आठ अप्रैल 2015 को की थी यानी सिर्फ तीन वर्षो में 12.61 करोड़ लोगों को कर्ज दे दिया गया।

चलिए एक बार मोटे अनुमान के तहत मान लेते है कि भारत की आबादी सवा अरब है इसमें से 18 वर्ष से कम लोगो ओर 60 साल से अधिक की आबादी लगभग 50 प्रतिशत कम कर दी जाए तो लगभग साढ़े 62 करोड़ लोगों में से 12.61 लोगो को मोदी जी ने लोन बांटा है यानी हर पांचवे आदमी को चाहे वह महिला हो या पुरुष, इन तीन सालों में उसे लोन दिया गया है आप मन ही मन अपने आसपास के 25 लोगों के नाम रेंडमली सोच लीजिए ओर उनसे पूछ लीजिए क्योकि मोदी जी कह रहे हैं कि उनमें से 5 लोगों को लोन दिया गया है वो भी इन तीन सालों में।

चलिए सिक्के के दूसरे पहलू की चर्चा कर लेते हैं। जो सच हमे आरटीआई से पता चला हैं उन आंकड़ों के अनुसार, इन 12 करोड़ से अधिक लोगो मे से सिर्फ 17.57 लाख लोगों (1.3 फीसद) को 5 लाख रुपये या उससे ज्यादा का लोन दिया गया। दिल्ली के आरटीआई कार्यकर्ता चंदन कामे्हे के आवेदन पर वित्तीय सेवा विभाग ने मुद्रा योजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण आंकड़े मुहैया कराए हैं। इसके अनुसार, वर्ष 2017-18 के दौरान इस योजना के तहत 4.81 करोड़ लोगों को कुल 2,53,677.10 करोड़ रुपये का लोन दिया गया था। इसका मतलब यह हुआ कि एक लाभार्थी को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए औसतन 52,700 रुपये का लोन मिला।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 5 लाख रुपये से कम में औरों को रोजगार देने लायक व्यवसाय करना बेहद मुश्किल है। ये तो हुई इस योजना की ऊपरी बातें अब हकीकत के धरातल पर आ जाए कि लोन कैसे बांटे गए

कहा जाता है कि बैंको में ब्रांच स्तर पर बांटे गए सभी लोन्स में 95% सही होते हैं तथा 5% ही खराब हो जाते हैं या एनपीए हो जाते हैं परंतु मुद्रा योजना में यह फिगर उल्टी हो जाती है यानी 5% लोन ठीक तो 95% खराब यानी 95% एनपीए हो जाता है तो यह होता क्यों है ?

इसका जवाब दस लाख बैंकर्स की नुमाइंदगी करने वाले यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के प्रतिनिधि बताते हैं कि योजना के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए बैंक अधिकारियों पर भारी राजनीतिक दबाव डाला जा रहा है। इस योजना को स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक भाई-भतीजावाद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

ब्रांच मैनेजर बताते हैं कि सांसद, विधायक और स्थानीय राजनेता बैंक अधिकारियों के लिए धमकी, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तुरंत लोन देने के लिए दबाव डाला जाता है। राजनीतिक रसूख वाले आवेदकों को लोन देने में देरी पर बैंक अधिकारियों को जिला प्रशासन अधिकारियों की ओर से धमकाया जाता है।

ब्रांच मैनेजर बताते हैं कि सांसद, विधायक और स्थानीय राजनेता बैंक अधिकारियों के लिए धमकी, अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तुरंत लोन देने के लिए दबाव डाला जाता है, राजनीतिक रसूख वाले आवेदकों को लोन देने में देरी पर बैंक अधिकारियों को जिला प्रशासन अधिकारियों की ओर से धमकाया जाता है। फ्रैंको ने आरोप लगाया कि अनेक बीजेपी नेताओं की ओर से अपने लैटर पैड पर आवेदकों की सूची भेजी गई कि इन्हें इन्हें लोन दिया जाए।

बैंक अधिकारी बताते हैं कि इन्ही कारणों से हर शहर और गांव में उंगलियों पर गिने जाने वाले लोगों ने इसे लेकर बिजनेस खड़ा किया है, अधिकांश पैसा चपत कर गए है। मीडिया में छपी कुछ खबरों में दावा किया जा रहा है कि मुद्रा योजना के तहत् दिए गए इन कर्जों में एनपीए तेजी से बढ़ते हुए 14 हजार करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर चुका है।

आल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कंफेडरेशन के महासचिव डी टी फ्रैंको का कहना है, 'मौजूदा सरकार के सत्ता में आने के बाद बैंकिंग सेक्टर पर भारी दबाव है. वो जहां भी जाते हैं लोन मेले लॉन्च करना चाहते हैं। एक ऐसा कार्यक्रम हुआ जहां बैंकर्स को बुलाया गया जिससे कि लोग ऋण के बारे में समझ सकें। लोन मेले के आयोजन में जब बैंकर्स गए तो देखा कि वो पूरी तरह बीजेपी के कार्यक्रम में तब्दील था. मंच पर मौजूद नेता और बाकी सारे नेता भी बीजेपी के ही थे।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का घाटा (पीएसबी) जनवरी-मार्च 2018 तिमाही में 50,000 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने जा रहा है । जिन 15 सरकारी बैंकों ने पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के परिणाम घोषित कर दिए हैं, उनमें इंडियन बैंक एवं विजया बैंक को छोड़कर सभी 13 नुकसान में रहे हैं। इन सभी 15 बैंकों की कंसॉलिडेटिड अर्निंग्स (समेकित आमदनी) में 44,241 करोड़ रुपये का घाटा सामने आया है। बाकी 6 बैंकों के रिजल्ट आने पर घाटे का यह आंकड़ा बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये से पार करने की आशंका है। इस घाटे में बड़े उद्योगपतियो के ऋण NPA होने के साथ मुद्रा योजना लोन NPA होने का भी बड़ा हिस्सा है। बैंककर्मी बहुत ही ज्यादा दबाव में काम कर रहे हैं।